न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

संख्या :— 29/2018

पीठासीन अधिकारी :— राजेश जोशी (आर.ए.एस)

कृष्णानन्द उर्फ किशनानन्द आत्मज रामशंकर जाति ब्राहमण निवासी ग्राम डगलावदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

—वादी

बनाम

1. रमेश आत्मज भंवर लाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम डगलवदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।
2. भवानीशंकर आत्मज प्रेमशंकर जाति ब्राहमण निवासी बून्दी तहसील व जिला बून्दी, राजस्थान।
3. राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार महोदय तालेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 15, 19, 88, 89, 92ए, 91, 188, 209 आर.टी.एक्ट

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री नन्द सिंह सोलंकी

प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित

प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यावाही

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित

—: निर्णय :— दिनांक 16.07.2018

वाद पत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है :—

1. कृषि भूमि खसरा संख्या 650 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 951/717 रकबा 5 बीघा 07 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 19 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम डगलावदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान में स्थित है। जो वर्तमान जमाबन्दी संवत 70—73 मे प्रतिवादी संख्या 2 के नाम खातेदारी मे दर्ज है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर वादी के पिता स्व0 श्री रामशंकर जी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व से ही बतौर खुद काश्त अभिधारी की हैसियत से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे तथा भुमिधारी को लगान अदा करते चले आ रहे थे। उनकी मृत्यु के पश्चात वादी वाद वर्णित भुमि पर बतौर खुदकाश्त अभिधारी की हैसियत से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा लगान अदा करता चला आ रहा है। कृषि भुमि खसरा संख्या 650 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा जो वाके ग्राम डगलावदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी मे विरिथत है पर सन् 1977—78 में केचमेन्ट (भूमि विकास) कार्य की शुरूआत हुई तथा

Scanned by CamScanner

केचमेन्ट से पूर्व उक्त भूमि के खसरा संख्या 407 थे तथा उससे पूर्व अर्थात सेटलमेन्ट से पहले खसरा संख्या 279 थे। केचमेन्ट के पश्चात खसरा संख्या 407 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा में कटोती के पश्चात वर्तमान खसरा संख्या 650 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा कायम हुए। इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा संख्या 951/717 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा के केचमेन्ट से पूर्व खसरा संख्या 189 तथा सेटलमेन्ट से पहले 134 थे। केचमेन्ट वर्ष 1985–86 में खसरा संख्या 189 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा कटोती के पश्चात खसरा संख्या 951/717 रकबा 5 बीघा 07 बिस्वा कायम हुए। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम भूमि धारक के रूप मे दर्ज थी तथा कब्जा अभिधारी की हैसियत से वादी के पिता स्व0 श्री रामशंकर के पास था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के बाद विधि के परिर्वतन से वाद वर्णित कृषि भूमि मे निहित खातेदारी अधिकार वादी के पिता स्व0 श्री रामशंकर में निहित हो गये तथा पूर्व भूमि धारक प्रतिवादी संख्या 2 के उक्त भूमि मे निहित अधिकार समाप्त हो गये तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 2 ने वाद वर्णित भूमि पर खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाने के कारण तथा खातेदारी अधिकार वादी के पिता स्व0 श्री रामशंकर में निहित हो जाने के कारण दिनांक 24–11–1960 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 20 के तहत मुआवजे के लिए उपखण्ड अधिकारी महोदय, बून्दी के न्यायालय में वादी के पिता के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें स्वयं भवानीशंकर आत्मज श्री प्रेमशंकर ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि " वाद पत्र मे वर्णित कृषि भूमि पर वादी के पिता स्व0 रामशंकर खुद काश्त के आसामी थे जिन्हे वाद पत्र मे वर्णित कृषि भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है। इसलिए भवानीशंकर आ0 प्रेमशंकर वादी के पिता स्व0 रामशंकर से भूमि का मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी है" तत्पश्चात भवानीशंकर आ0 श्री प्रेमशंकर के द्वारा उपरोक्त भूमि के मुआवजे के लिए प्रस्तुत वाद संख्या 160/60 में दिनांक 02–12–1961 को वादी के पिता स्व0 श्री रामशंकर व भवानीशंकर के मध्य राजीनामा हो गया। राजीनामा के आधार पर न्यायालय के द्वारा दिनांक 02–12–1961 को निर्णय करे हुए कृषि भूमि खसरा संख्या 650 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा संख्या 951/717 रकबा 5 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम डगलावदा का खातेदार आसामी वादी के पिता स्व0 श्री रामशंकर को घोषित किया गया इस प्रकार काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत तथा उत्तराधिकार के आधार पर वादी वाद वर्णित कृषि भूमि का खातेदार है, क्योकि वाद संख्या 160/60 जिसका निर्णय दिनांक 02–12–1961 को हुआ था वह आज भी भवानीशंकर आ0 श्री प्रेमशंकर के विरूद्ध तथा उसके उत्तराधिकारियों के विरूद्ध तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध प्रभावकारी है क्योकि भवानीशंकर आ0 प्रेमशंकर तथा उसका परिवार कभी भी ग्राम डगलावदा जिला बून्दी के निवासी नही रहे है ना ही वाद वर्णित भूमि पर कब्जा काश्त रहे है। उपरोक्त निर्णय दिनांक 02–12–1961 के समय वादी नाबालिग था तथा उनके पिता की मृत्यु के पश्चात

Scanned by CamScanner

वादी को उक्त निर्णय की जानकारी नही हो पाई इस कारण वादी राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम खातेदार के रूप मे अमल दरामद नही करा सका। उपरोक्त का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 वाद वर्णित भुमि पर कब्जा करने पर आमादा हो रहा है तथा वादी को वाद वर्णित भूमि से जबरन बेदखन. करने पर आमादा हो रहा है तथा वाद वर्णित भूमि पर वादी के हक अधिकार मानने से भी इन्कार कर दिया। वादी को उक्त निर्णय दिनांक 02–12–1961 की जानकारी पुराने दस्तावेज तलाशने से हुई उसके बाद नकल प्राप्त हुई उपरोक्त आधार पर वादी ने यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है। अन्त में उपरोक्त वाद वर्णित तथ्यों के आधार पर वादी माननीय न्यायालय से प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद वर्णित कृषि भूमि पर हक अधिकार की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम खातेदार के रूप मे अमल दरामद कराने की प्रार्थना की गई है।

2. वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के वाद पत्र का इकबालिया जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध दिनांक 06.06.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 ने दिनांक 08–06–2018 को जवाब वाद पत्र पेश किया तथा न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

3. वादी तथा प्रतिवादीगण का जवाब वाद पत्र प्रस्तुत होने पर निम्न विवाधक कायम किये गये –

(i) आया कि वाद वर्णित तथ्यों के अनुसार वाद वर्णित कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

(वादी)

(ii) आया वाद वर्णित तथ्यों के अनुसार वादी वाद वर्णित कृषि भूमि पर से प्रतिवादी संख्या 2 का नाम विलोपित करवाने का अधिकारी है।

(वादी)

(iii) अनुतोष।

4. वादी ने साक्ष्य में पी.डब्लू–1 के रूप मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेज साक्ष्य में (1) जमाबन्दी संवत 2070–73 प्रदर्श –1, (2) केचमेन्ट वर्ष 1985–86 की नकल प्रदर्श –2, (3) केचमेन्ट वर्ष 1977–78 प्रदर्श –3, (4) निर्णय दिनांक 02–12–61 की नकल प्रदर्श –4, (5) धारा 20 के तहत आवेदन पत्र प्रदर्श –5, (6) धारा 20 के जवाब प्रदर्श –6, (7) राजीनामा की नकल प्रदर्श –7, प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नही किये गये।

5. वादी तथा प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई तत्तपश्चात पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया गया। उपरोक्त उनवानी वाद का निर्णय नियत विवाधको के क्रम मे निम्न विवेचन एंव विश्लेषण अनुसार किया जा रहा है।

Scanned by CamScanner

(i) आया कि वाद वर्णित तथ्यों के आधार पर वादी वाद वर्णित कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है – उक्त विवाधक को साबित करने का भार वादी पर था जिसमे वादी ने वाद वर्णित अभिवचन को न्यायालय के समक्ष स्वयं के शपथपत्र तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणित किया है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा वाद वर्णित कृषि भुमि पर खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाने पर वादी के पिता के विरूद्ध धारा 20 आर.टी.एक्ट तथा राजस्थान टिनेन्सी नियम 1955 के नियम 4 एवं 5 के अधींन आवेदन पेश किया था जिसको वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रदर्श 6 के रूप मे पेश किया उक्त आवेदन के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी के पिता को वाद वर्णित कृषि भूमि का खातेदारी अधिकारी स्वीकार कर लिया था तथा प्रतिवादी संख्या 2 के वाद वर्णित कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाने के कारण मुआवजे के लिए उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। तत्समय प्रतिवादी संख्या 2 को वादी के पिता ने मुआवजा राशि राजीनामा के आधार पर संदत कर दी थी। राजीनामा को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 7 के रूप मे पेश किया। तत्पश्चात न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 02–12–61 जो कि प्रदर्श 4 है से वादी को वाद वर्णित कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया गया। दिनांक 02–12–61 को ही प्रतिवादी संख्या 2 के वाद वर्णित कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये तथा वादी के पिता को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। निर्णय दिनांक 02–12–61 आज भी प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध प्रभावकारी है क्योकि न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण की ओर से वादी के वादपत्र के अभिवचन तथा दस्तावेजी साक्ष्यों का खण्डनात्मक कोई साक्ष्य पेश नही की गई। ऐसी स्थिति में वादी रामशंकर का पुत्र है जो कि उपरोक्त कृषि भूमि पर अपने पिता के स्थान पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसी स्थिति मे उपरोक्त विवाधक को वादी न्यायालय के समक्ष मौखिक साक्ष्य एंव दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है। इस कारण यह विवाधक वादी के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

(ii) आया वाद वर्णित तथ्यों के अनुसार वादी वाद वर्णित कृषि भूमि से प्रतिवादी संख्या 2 का नाम विलोपित करवाने का अधिकारी है – उक्त विवाधक को साबित करने का भार वादी पर था इस सम्बन्ध मे वादी ने विवाधक संख्या 1 को साबित किये जाने के क्रम मे निर्णय दिनांक 02–12–61 को प्रदर्श 4 के रूप मे प्रदर्शित करवाया। उक्त निर्णय दिनांक 02–12–61 से प्रतिवादी संख्या 2 के वाद वर्णित कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये है तथा तत्समय स्व0 रामशंकर मे खातेदारी अधिकार निहित हो गये थे। वादी रामशंकर का पुत्र है इसलिए वाद वर्णित कृषि भूमि पर खातेदार के रूप मे नाम दर्ज करने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 का

Scanned by CamScanner

नाम विलोपित करवाने का अधिकारी पाया जाता है। ऐसी स्थिति मे यह विवाधक भी वादी के पक्ष मे तय किया जाता है।

(iii) अनुतोष – विवाधक सख्या 1 व 2 वादी के पक्ष मे तय किये गये है इसलिए वादी वाद वर्णित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

–: निर्णय :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को कृषि भूमि खसरा संख्या 650 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 951/717 रकबा 5 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 19 बीघा 1 बिस्वा जो वाके ग्राम डगलावदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी मे स्थित है का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि वादी का नाम उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जावे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

उक्त निर्णय आज दिनांक 16.07.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

16.7.18

(राजेश जोशी)
उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा
जिला बून्दी (राज0)

Scanned by CamScanner